UPKU100030292020

न्यायालय Ist Addl. Civil Judge (Jr. Div.)/J.M. Kasia Kushinagar.

पीठासीन अधिकारी–(SARVESH KUMAR PANDEY)**,(उ० प्र० न्यायिक सेवा)UP**04748

परिवाद सं०–1582/2020

रमावती बनाम विजय आदि।

30.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित एवं अभियुक्तगण भी अनुपस्थित हैं। परिवादिनी को साक्ष्य धारा–244 द०प्र०सं० हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया जा चुका है परन्तु आज भी परिवादिनी उपस्थित नहीं आयी न ही परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को दिनांक 03.04.2020 को अपराध अन्तर्गत धारा–323,504,506 भा०द०सं० के विचारण हेतु तलब किया गया था। परिवादिनी धारा–244 द०प्र०सं० हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं आयी है। इस सम्बन्ध में धारा–249 द०प्र०सं० यह अवधारित करती है कि "जब कार्यवाही परिवाद पर संस्थित की जाती है और मामले की सुनवाई के लिये नियत किसी दिन परिवादी अनुपस्थित है और अपराध का विधिपूर्वक शमन किया जा सकता है या वह संज्ञेय अपराध नहीं है तब मजिस्ट्रेट, इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी, आरोप के विरचित किये जाने के पूर्व किसी भी समय अभियुक्त को स्वविवेकानुसार उन्मोचित कर सकेगा।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण जिन धाराओं के लिये विचारण का सामना कर रहे हैं उनमें से सभी धाराएं शमनीय प्रकृति की है। परिवादिनी की अनुपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परिवादिनी को कोई विशेष रूचि इस परिवाद को आगे चलाये जाने में नहीं रह गई है। अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं धारा–249 द०प्र०सं० के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण उन्मोचित किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **लालजी** को अन्तर्गत धारा–249 द०प्र०सं० प्रावधानों के अन्तर्गत **परिवाद संख्या–1582/2020, रमावती बनाम विजय आदि** को उन्मोचित किया जाता है। जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक: 30.07.2026

प्रथम अति० सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०,
कसया, कुशीनगर।

Digitally signed by Sarvesh Kumar Pandey
Date: 2026.07.30 16:23:54 IST
Reason: Document Owner
Location: Kasia Kushinagar